WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JULY 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

WUPCCI

INDEX

- RBI proposes removing cap on interest rates for micro-lenders
- 1 जुलाई से एसबीआई से नगद निकासी महंगी
- केंद्रीय बैंक ने नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का किया प्रस्ताव, आसान होंगी कर्ज की शर्तें
- एनपीए खातों से कर्ज वसूली में इसलिए आती है बाधा
- ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति का होता है 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा, ऐसे करें क्लेम
- अगले साल से दूसरे बैंक एटीएम से निकासी महंगी
- लोन वितरण में बैंक नहीं देखेंगे भू-परिवर्तन संबंधी कागजात
- नए आयकर पोर्टल में सुरक्षित रख सकेंगे दस्तावेज
- आय के इन पांच स्त्रोतों पर भी मिलती है टैक्स छूट
- पोर्टल ठीक न होने पर बढ़ी आयकर रिटर्न की तारीखे
- कर जमा की तारीखों में यह हुआ बदलाव
- श्रमिकों को मुआवजे में 30 दिन की देरी पर 12% ब्याज देना होगा
- जीएसटी पंजीकरण में अब नहीं होगा पैन का फर्जीवाड़ा
- Govt simplifies registration process for MSMEs
- एमएसएमई का बकाया 31 जुलाई तक चुका दे : वित्तमंत्री
- यूपी के उद्यमियों को बड़ी राहत
- MFI सेक्टर के नियमन में एकरूपता लाने की तैयारी
- PLI scheme to help India become Aatmanirbhar in APIs : ICRA
- कारोबारियों को अब जेम पोर्टल से मिल रहा कर्ज
- उद्योग आधार मेमोरेंडम की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई

WUPCCI

- **दूसरी लहर से उबारने को आठ बड़े ऐलान**
- **14 राज्य और 17 मंत्रालयों से मिलेगी सिंगल विंडो क्लीयरेंस**
- **सिगरेट-तंबाकू बेचने को लाइसेंस जरुरी**
- **रेस्तरां-मिठाई बिल पर लाइसेंस नंबर जरुरी**
- **अब डीएम तय करेंगे मकान और फ्लैट पर लगने वाला स्टांप शुल्क**
- **व्यापारियों व छोटे कारोबारियों को बिजली के फिक्स्ड चार्ज में मिल सकती है छूट**
- **लागत घटाने व उत्पादकता बढ़ाने को कृषि मशीनीकरण पर जोर**
- **मार्च 2022 तक नौकरी पाने वालो का पीएफ देगी सरकार**
- **बिना बताए जल दोहन पर सजा, जुर्माना लगेगा**
- **One Nation One PUC: वाहन चालकों को मिलेगी राहत, सरकार ने PUC के लिए बनाए ये नए नियम**
- **15 जून से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य**

WUPCCI

RBI proposes removing cap on interest rates for micro-lenders

The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a slew of measures to protect micro-finance borrowers from over-indebtedness and enable competitive forces to bring down the interest rates. In a consultative document released, RBI has proposed to remove the ceiling on interest rates for micro-finance lenders, among other key measures.

Currently, the margins for NBFC MFIs are capped at 12% over and above its cost of funds. Similarly, RBI has suggested not to charge any pre-payment penalty from borrowers. It said there should be no requirement of collateral for giving loans. The Reserve Bank has advocated a greater flexibility in the frequency of repayments for all micro-finance loans. Among other key measures, RBI has proposed to link the loan amount to household income in terms of debt-income ratio.

"Considering the low savings of these households, at least half of their income should be available to meet their other expenses," RBI said in its consultative document on micro-finance. "Existing loans to the households which are not complying with the limit of 50% of the household income, shall be allowed to mature," the regulator further said. It has also proposed to do away with two lender exposure rules for a borrower. Currently, not more than two NBFC-MFIs can lend to the same borrower as per RBI's regulations.

The central bank also observed that all lenders tend to charge high interest rates in line with rates charged by NBFC-MFIs. Ultimately, the borrowers are deprived of the benefits from enhanced competition as well as economy of scale, even in a falling interest rate regime.

WUPCCI

The prescribed ceiling on lending rate for NBFC-MFIs has had an unintended consequence of not allowing competition to play out and most lenders have similar levels of pricing.

The regulator has proposed to provide a fact sheet on pricing to the borrower by the lending institutions for maintaining transparency.

The suggested framework in the consultative document is intended to be made applicable to the micro-finance loans provided by all entities regulated by the Reserve Bank. It is aimed at protecting borrowers of such loans from over-indebtedness as well as enabling competitive forces to bring down the interest rates by empowering the borrowers to make an informed decision, RBI said.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

1 जुलाई से एसबीआई से नगद निकासी महंगी

1 जुलाई से बैंकिंग, टीडीएस, लाइसेंस से लेकर कैश निकालने तक के कई बड़े बदलाव हो गए है।

1. 10 पन्ने के बाद चेक बुक के लिए भी शुल्क लगेगा :

एसबीआई अब मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाताधारकों से एक महीने में चार मुफ्त लेनदेन से अधिक नकद निकासी पर शुल्क लेगा। इन ग्राहकों से 1 साल में 10 पन्ने के बाद चेक बुक के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। बीएसबीडी खातों के लिए सेवा शुल्क में संशोधन के अनुसार एसबीआई 1 जुलाई 2021 से अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए 15 रूपये से 75 रूपये शुल्क लेगा। बीएसबीडी खाताधारकों के लिए गैर-वित्तीय लेनदेन और हस्तांतरण लेनदेन शाखाओ, एटीएम, सीडीएम (नकद वितरण मशीन) पर मुफ्त होंगे। एसबीआई ने कहा कि बैंक शाखाओ, एसबीआई एटीएम या अन्य बैंक के एटीएम से चार मुफ्त नकद निकासी से अधिक लेनदेन के लिए प्रति निकासी पर 15 रूपये शुल्क लेगा और इस पर जीएसटी अतिरिक्त होगा। एसबीआई ने कहा, चार मुफ्त नकद निकासी (एटीएम और शाखा सहित) से अधिक लेनदेन पर शुल्क वसूल किया जाएगा।

2. हर नग की यूनिक पहचान होगी :

गहने चोरी हो जाए या गुम इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। दरअसल, जिस तरह देश के सभी नागरिको की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी जरिए की गई है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) अनिवार्य हो गई है।

3. नया IFSC कोड लागू होगा :

सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो चुका है। अब 1 जुलाई से बैंक का IFSC कोड बदल गया है। आईडीबीआई बैंक द्वारा भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव किया गया है।

WIJPCCI

4. छोटी बचत पर ब्याज में कटौती की आशंका

छोटी बचत योजनाओ जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स या फिर सुकन्या समृद्धि में निवेश किया है तो सरकार ब्याज दर में कटौती कर सकती है। माना जा रहा है कि छोटी बचत योजनाओ पर बैंको के मुकाबले अधिक ब्याज से समस्या पैदा हो रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है।

5. टीडीएस, टीसीएस ज्यादा कटेगा :

रिटर्न न भरने वालो से ज्यादा टीडीएस, टीसीएस वसूलने की तैयारी है। जिन्होंने दो वर्षो से रिटर्न जमा नहीं किया है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। नियम उन पर लागू होगा, जिनका सालाना टीडीएस 50000 रूपये या इससे ज्यादा होता है। रिटर्न नहीं दाखिल करने वालो के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है।

6. गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी संभव :

स्टील, प्लास्टिक और एलुमिनियम के दामों में उछाल को देखते हुए वाहन कंपनियां दाम जुलाई महीने से बढ़ाने जा रही है। मारुती भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। दोपहिया कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने भी दोपहिया के दाम भी 1 जुलाई से बढ़ा दिए है।

केंद्रीय बैंक ने नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का किया प्रस्ताव, आसान होंगी कर्ज की शर्ते

सस्ते कर्ज का रास्ता साफ़ किया

सूक्ष्म वित्त संस्थान (माइक्रोफाइनेंस लेंडर्स) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कर्ज लेने वाले दिनों में आसान और सस्ता हो सकता है। इसके लिए आरबीआई ने देश के सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए एक नए नियामकीय फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है।

इसके मुताबिक कर्ज के पूर्व भुगतान पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ ही कर्ज लेने वालो को किसी तरह की जमानत (गारंटी) नहीं रखनी होगी। माना जा रहा है कि इससे सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए कर्ज बाटना भी ज्यादा आसान हो जाएगा।

रेगुलेशन से संबंधित एक मसौदा प्रस्ताव में आरबीआई ने सलाह दी है कि नियंत्रण वाली सभी संस्थाओं के सूक्ष्म वित्त कर्ज की एक परिभाषा तय की जाएगी।

आरबीआई के इस प्रस्ताव के मुताबिक इनके लिए ब्याज दर पर कोई सीमा नहीं रहेगी। यानी वह कम या ज्यादा ब्याज वसूल सकेंगे।

ब्याज दर की सीमा नहीं :

मौजूदा समय में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ब्याज दर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय रहती है। इसका आकलन आरबीआई के नियम के तहत होता है। लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक नए रेगुलेशन में ब्याज दर की सीमा नहीं होगी। विशेषज्ञो का कहना है कि बेहतर रिकॉर्ड वाले ग्राहकों को इसका लाभ होगा क्योकि उन्हें कम ब्याज दर की पेशकश की जा सकती है। जबकि मौजूदा समय में एक सीमा से कम ब्याज की पेशकश नहीं कर सकते है।

बिना किसी गारंटी के कर्ज :

आरबीआई ने मसौदा प्रस्ताव में कहा है कि सूक्ष्म वित्त कर्ज का मतलब बिना जमानत या बिना गारंटी के कर्ज से है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगो की सालाना आमदनी 1.25 लाख रूपये से लेकर 2 लाख रूपये तक है वह सूक्ष्म वित्त कर्ज ले सकते है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ग्रामीण और कस्बाई इलाके में रहने वाले लोगो को ऐसा कर्ज आसानी से मिलना जाना चाहिए।

आय की 50% EMI :

दस्तावेज के मुताबिक सभी वर्तमान कर्ज पर भुगतान के मामले में किसी की कुल आमदनी के 50 फीसदी से अधिक चुकाने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपकी आमदनी जितनी होगी उसके हिसाब से

कुल ईएमआई उसका 50 फीसदी ही हो सकती है। विशेषज्ञो का कहना है कि मौजूदा समय में सूक्ष्म वित्त संस्थान ग्राहकों से 70 से 80 फीसदी तक ईएमआई वसूलते है।

छोटे शहरों तक पहुंच :

आरबीआई का मकसद इसके जरिये छोटे शहरों तक कर्ज की पहुंच को आसान करना है। विशेषज्ञो का कहना है कि ऐसे शहरों में लोगो की आमदनी बेहद कम होती है। इस स्थिति में बैंक उन्हें आसानी से कर्ज नहीं देते। जबकि वर्तमान समय में माइक्रोफाइनेंस 10 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक का कर्ज बाटते है। ऐसे में आरबीआई के फैसले से माइक्रोफाइनेंस के जरिये आसानी से कर्ज मिल सकेगा।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

एनपीए खातों से कर्ज वसूली में इसलिए आती है बाधा

किसी भी कर्ज खाते के एनपीए होने की स्थिति में कर्ज की वसूली सरफेसी कानून के प्राविधानों के तहत बंधक संपत्ति बेचकर की जाती है। लेकिन बंधक संपत्ति को उसके उचित बाजार भाव से न बेच पाने के कारण हुए नुक्सान से बैंको की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका असर उनकी बैलेंस शीट और आर्थिक स्थिति और प्रकारांतर से देश की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिखता है।

वास्तव में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 55 के प्रविधान के अनुसार (और अन्यथा भी) जब किसी संपत्ति की खरीद-फरोख्त होती है तो संपत्ति के ट्रांसफर के समय से पहले की देनदारी की जिम्मेदारी विक्रेता की और उसके बाद खरीदार की होती है। लेकिन बैंक संपत्तियों को बेचते समय संपत्ति से संबंधित किसी भी देनदारी के बारे में अनभिज्ञता दर्शाते हुए कुछ भी नहीं बताते है। दूसरी तरफ, बैंक कर्ज स्वीकृत करते समय बंधक राखी जाने वाली संपत्ति से संबद्ध सभी देनदारी के बारे में पूरी जानकारी जुटाते और यह शर्त रखते है कि भविष्य में अगर किसी भी किस्म की पूर्व की देनदारी के बारे में पता चलता है तो उसे खरीदार को ही वहन करना होगा। भविष्य में आने वाली किसी देनदारी की अनिश्चितता के कारण कोई भी समझदार खरीदार आने वाली किसी देनदारी के भय के कारण संपत्ति का पूरा मूल्य देने को तैयार नहीं होता है।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बैंक अक्सर संपत्ति को बिना अपने कब्जे में लिए ही अखबारों में बिक्री के विज्ञापन दे देते है। ऐसी दशा में कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति पर काबिज व्यक्ति (संपत्ति का मालिक, किरायदार या कोई भी तीसरा व्यक्ति) खरीदार को संपत्ति का कब्ज़ा लेने में बाधा उत्पन्न करते है। इससे खरीदार का पैसा भी फस जाता है और फिजूल की मुकदमेबाजी भी झेलनी पड़ती है। ऐसी संपत्तियों में इतने झंझट होते है कि खरीदार इन्हे बेहद मामूली दाम में ही खरीदने को तैयार होते है। साथ ही एनपीए से संबंधित इस तरह की संपत्तियों पर खरीदार को भी नया कर्ज मुश्किल से मिलता है और खरीदार को पूरी रकम अपने स्त्रोतों से जुटानी पड़ती है। इन सब कारणों से धीरे-धीरे बाजार में ऐसी धारणा बनती जा रही है कि बैंको से संपत्ति खरीदने में बहुत समस्याएं है। अतः लोग बैंक से संपत्तियां खरीदना नापसंद करने लगे है। बैंको को अपने बारे में बनी ऐसी धारणा को बदलना होगा। बंधक संपत्ति का पूरा मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए बैंको को सामान्य खरीदार के बीच में अपनी साख बढ़ानी होगी। बैंको को संपत्ति की सभी देनदारी की

WUPCCL

जानकारी देनी होगी, बताना होगा वह उसके निर्वहन को तैयार रहे। अगर खरीदार की साख अच्छी है तो बैंक को इन संपत्तियों को बंधक रखकर दुबारा कर्ज देने में ऐतराज नहीं करना चाहिए।

ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति का होता है 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा, ऐसे करे क्लेम

बैंक का ATM कार्ड कभी भी पैसे ही उपलब्ध नहीं करवाता बल्कि ओर भी कई बड़ी सुविधाएं है। वे भी ऐसी सुविधाएं जिनके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना।

क्या आप जानते है कि यदि आपके पास किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का ATM कार्ड है तो आपको फ्री में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला हुआ है। दुर्घटना होने पर आप संबंधित बैंक से इंश्योरेंस के तहत मिलने वाली रकम ले सकते है। अधिकांश लोगो को इन नियमो की जानकारी नहीं, क्योंकि बैंक यह डिटेल आम लोगो को नहीं बताते। आज हम बता रहे है ATM कार्ड से जुड़ा आपके फायदा नियम।

गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट तक सभी अपने कस्टमर्स को एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर देती है। यह इंश्योरेंस 50 हजार रूपये से लेकर 90 लाख रूपये तक का होता है। इनका फायदा उन्ही कस्टमर्स को मिलता है जिनका बैंक अकाउंट ऑपरेशनल होता है।

इस स्कीम के तहत किसी ATM होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 से 5 माह के भीतर बैंक की उस ब्रांच में जाना होगा, जहां उसका अकाउंट है। उसी ब्रांच में मुआवजे का एप्लिकेशन देना होगा। मुआवजा देने के पहले बैंक यह चेक करेगा कि सम्बंधित व्यक्ति ने 60 दिनों के अंदर वित्तीय लेन-देन किया है या नहीं। इस इंश्योरेंस के तहत विकलांगता से लेकर मौत होने तक पर अलग-अलग तरह के मुआवजे का प्रावधान है। साधारण ATM, MASTERCARD, CLASSIC ATM पर अलग-अलग तरह की मुआवजा राशि है। आप अपने बैंक में जाकर यह पता कर सकते है कि आपके कार्ड पर कितने का बीमा मिला हुआ है।

कोई भी दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस को सूचित करे। पुलिस रिपोर्ट में एक्सीडेंट से जुड़े सभी तथ्यों का जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उससे जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए। अगर संबंधित व्यक्ति अस्पताल है तो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट हो।

यदि व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बैंक चेक करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने बीते 60 दिनों में ATM से कोई ट्रांज़ैक्शन की है या नहीं।

अलग-अलग होती है राशि :

- क्लासिक कार्ड में 1 लाख रूपये का बीमा है।
- प्लेटिनम कार्ड में 2 लाख रूपये का बीमा है।
- मास्टर कार्ड में 50 हजार रूपये का बीमा है।
- मास्टर रक्षक प्लेटिनम कार्ड पर 5 लाख रूपये का बीमा है।
- रुपे कार्ड पर 2 लाख रूपये का बीमा है।

गैस सिलेंडर खरीदते वक्त 50 लाख का इंश्योरेंस :

इतना ही नहीं रसोई गैस के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में भी एक फायदे की बात छिपी होती है। सिलेंडर खरीदते वक्त ही उसका बीमा यानी इंश्योरेंस हो जाता है। 50 लाख रूपये तक होने वाले इस इंश्योरेंस की जानकारी लोगों को नहीं होती। गैस कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता का 90 हजार से 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके तहत गैस सिलेंडर से हादसा होने पर पीड़ित इंश्योरेंस का क्लेम कर सकता है। साथ ही, सामूहिक दुर्घटना होने पर 50 लाख रूपये तक देने का प्रावधान है।

हर ATM कार्ड के साथ बीमा रहता है। ग्राहक को जागरूक होकर इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को महीने भर में एक बार अपने कार्ड का उपयोग अवश्य करना चाहिए।

अगले साल से दूसरे बैंक एटीएम से निकासी महंगी

अगले साल 1 जनवरी से दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालना ओर महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने एटीएम इंटरचार्ज शुल्क में 2 रूपये बढ़ाकर 17 रूपये कर दिया है। ग्राहकों को निशुल्क निकासी सीमा के बाद अन्य बैंक के एटीएम से हर बार पैसे निकालने पर 20 की बजाए 21 रूपये शुल्क देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा, इंटरचार्ज शुल्क में इजाफे का फैसला जून 2019 में गठित समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। इससे पहले अगस्त 2012 में एटीएम इंटरचार्ज शुल्क बढ़ाया गया था, जबकि अगस्त 2014 में अन्य बैंको से धन निकासी पर शुल्क बढ़ाया गया था।

बैलेंस चेक किया तो भी शुल्क :

आरबीआई ने गैर वित्तीय लेनदेन जैसे बैलेंस चेक करने, स्टेटमेंट निकालने आदि सेवाओं पर भी एटीएम इंटरचार्ज शुल्क 5 रूपये प्रति निकासी से बढाकर 6 रूपये कर दिया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

लोन वितरण में बैंक नहीं देखेंगे भू-परिवर्तन संबंधी कागजात

उद्योगों की स्थापना के लिए परियोजना की स्वीकृति और ऋण वितरण करते समय बैंक भू-परिवर्तन संबंधी कागजात नहीं देखेंगे।

सचिव, संस्थागत वित्त संजय कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से कृषि भूमि पर रोजगारपरक योजनाए चलाई जा रही है। इसके तहत उद्योगों की स्थापना करने के लिए परियोजना स्वीकृति और ऋण वितरण करते समय बैंक शाखा किसी हितग्राही से कृषि भूमि के डायवर्जन के आदेश को नहीं मांगेगी। बशर्ते किसी अधिनियम के अंतर्गत लागू मास्टर प्लान के माध्यम से भू-उपयोग को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित न किया गया हो। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य साहयतित, परियोजना महानिदेशालय से कहा गया है कि वे इस संबंध में सभी बैंक शाखाओं को अपने स्तर से भी निर्देश जारी कर दे।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

नए आयकर पोर्टल में सुरक्षित रख सकेंगे दस्तावेज

आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने को जो नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसमे कई नई सुविधाएं जोड़ी गई है। करदाताओं के निजी प्रमाणपत्रों व अन्य जरुरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए नए पोर्टल में ई-वॉलेट भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें करदाता अपनी वित्तीय जानकारियों से जुड़े कागजात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रख सकते है। इससे करदाता बार-बार दस्तावेज अपलोड करने के झंझट से भी बचेंगे।

पोर्टल के ई-वॉलेट में लॉगइन करने के पांच माध्यम उपलब्ध कराए गए है। इसके तहत नेट-बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक खाता या डीमैट अकॉउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी मिलने के बाद ही पेज खुलेगा। ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति किसी करदाता के दस्तावेज में सेंध नहीं लगा सकता है।

सबसे पहले नए पोर्टल में प्रोफाइल अपडेट करने का विकल्प आएगा। इसमें फोटो, संपर्क पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी व अन्य जरुरी जानकारियां अपडेट की जा सकती है। नए डेशबोर्ड में यह भी दिख जाता है कि हमें कितना टैक्स जमा करना है। विभाग ने करदाता को पहले कभी कोई नोटिस जारी किया और करदाता ने उसका जवाब दिया था या नहीं, इस तरह की सभी जानकारियां सामने होगी। करदाता अपने पिछले रिटर्न से जुडी सभी जानकारियां भी वेबसाइट से हासिल कर सकते है।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:
SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com
Mobile No.: 9837031861, 9927025661

आय के इन पांच स्त्रोतों पर भी मिलती है टैक्स छूट

उपहार, छात्रवृत्ति, ग्रेच्युटी, पैतृक संपत्ति व कंपनी में मिला मुनाफा कर के दायरे से बाहर

देश में एक वित्त वर्ष के दौरान 2.5 लाख रूपये से ज्यादा की कमाई टैक्स के दायरे में आती है। वेतन के अलावा अन्य स्त्रोतों से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगता है। इनमे ब्याज में होने वाली कमाई, कारोबार से प्राप्त आय और निवेश में होने वाली आमदनी शामिल है। हालांकि, आयकर कानून के तहत प्रोविडेंट फंड (पीएफ), एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अलावा आय के पांच स्त्रोत भी है जिनसे आय पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा, कृषि से प्राप्त आय भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। यानी किसान को खेती से चाहे जितनी भी कमाई हो, उसे इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

शादी में मिला उपहार :

आमतौर पर आयकर कानून के तहत मिला उपहार टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन उपहार शादी पर मिलता है तो इससे होने वाली आय पर 100% टैक्स छूट मिलती है। शर्त यह है की उपहार शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर मिला हो। करदाता को एक वित्तवर्ष में अधिकतम 50000 रूपये के उपहार पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे ज्यादा का उपहार आय में जुड़ेगा, जिस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

साझेदारी वाली कंपनी से होने वाला मुनाफा :

अगर आप किसी कंपनी में साझेदार है तो मुनाफे के शेयर के रूप में मिली रकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योकि कंपनी इस पर टैक्स का भुगतान कर चुकी होती है। यह छूट सिर्फ मुनाफे पर है, मिलने वाले वेतन पर नहीं।

पढ़ाई के दौरान मिली छात्रवृत्ति :

आयकर कानून के तहत देश या विदेश में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर पर हर तरह की पढाई के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, सरकारी या निजी संस्थानों से पढाई या शोध के लिए मिली छात्रवृत्ति पर भी कोई टैक्स नहीं देना पढता है।

पैतृक संपत्ति :

माता-पिता से मिली संपत्ति (आवासीय या वाणिज्यिक), गहने और नकदी पर करदाता को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। चाहे यह पैतृक संपत्ति के तौर पर मिला हो या अन्य किसी वसीयत में। हालांकि, करदाता अगर मिली हुई रकम को निवेश कर कमाई करता है या संपत्ति से कमाई या ब्याज हासिल करता है तो उसे इनसे होने वाली आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा।

ग्रेच्युटी से 20 लाख तक की कमाई :

अगर किसी कर्मचारी ने किसी संसथान में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है तो नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी टैक्स छूट के दायरे में आती है। सरकारी कर्मचारी के मामले में 20 लाख रूपये तक और निजी कंपनी के कर्मचारी के मामले में 10 लाख रूपये तक की ग्रेच्युटी रकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

पोर्टल ठीक न होने पर बढ़ी आयकर रिटर्न की तारीखे

7 जून को खुला आयकर विभाग का पोर्टल अब तक पूरी तरह ठीक न होने से परेशान कारोबारियों, ट्रस्ट संचालको और टैक्स सलाहकारों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने और पंजीयन कराने के लिए निर्धारित 30 जून की तिथि को आगे बढ़ा दिया है।

WJPCC

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम त्रैमास के टीडीएस रिटर्न को फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे अब 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढाकर 31 जुलाई की गई है। इसके साथ ही आयकर से कर मुक्ति प्राप्त संस्थाओं को धारा 80जी के तहत दानदाताओं को लेकर छूट पाने के लिए दोबारा पंजीयन कराना है। इन्हे 30 जून तक पंजीयन लेना था। अब इसकी तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ गई है।

पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख भी अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी गई है। आयकर की विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत कर जमा कराने की अंतिम तारीख 30 जून से बढाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं, तय टैक्स से अलग धन जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर की गई है।

कर जमा की तारीखों में यह हुआ बदलाव

- टीडीएस स्टेटमेंट 2020-21 के लिए 15 जुलाई तक का समय कर दिया है।
- टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म-16 की तारीख भी बढाकर 31 जुलाई की गई है। .
- पेड इनकम स्टेटमेंट फॉर्म-64D की तारीख 31 जुलाई की गई है।
- ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है।
- क्लेम से संबंधित मामले सेक्टर 54 से 54 जीबी की तारीख 30 सितम्बर की गई है।
- क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म 15CC अब 31 जुलाई तक भरना होगा।
- इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फॉर्म-2 वर्ष 2020-21 के लिए 31 जुलाई तारीख की गई है।
- एनुअल स्टेटमेंट अब सेक्शन 5 ऑफ 9A की तारीख 31 जुलाई की गई है।
- डिक्लरेशन की अपलोडिंग को बढाकर 31 अगस्त किया गया है।
- पैन नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 30 सितम्बर तक का समय है।
- विवाद से विश्वास स्कीम के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है।

WUPCCI

श्रमिकों को मुआवजे में 30 दिन की देरी पर 12% ब्याज देना होगा

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से मजदूरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल, श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का मसौदा जारी किया है। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कर्मचारी काम के दौरान घायल होता है या उसकी मौत हो जाती है तो नियोक्ता को कर्मचारी को मुआवजा 30 दिन के भीतर देना होगा। इसके बाद एक दिन देरी करने पर नियोक्ता को 12 फीसदी की साधारण ब्याज की दर से मुआवजा का भुगतान करना होगा।

श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमो को संबंधित पक्षों के सुझावों और आपत्तियों के लिए अधिसूचित कर दिया है। बयान के अनुसार अगर कोई सुझाव और आपत्ति है तो उसे मसौदा नियमो की अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर देना जरुरी है।

इस तरह की जाएगी गणना :

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 76 के अनुसार, चोट के कारण मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि मृतक कर्मचारी के मासिक वेतन का 50% होनी चाहिए जिसे केंद्र सरकार के रेलिवेंट फैक्स के गुणा किया जाएगा। इसी तरह चोट के कारण स्थायी रूप से पूर्ण रूप से सक्षम होने की स्थिति में दिया जाने वाला मुआवजा घायल कर्मचारी के मासिक वेतन के 60% के बराबर होना चाहिए।

नियोक्ता के दायित्व :

कर्मचारी और श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में जरुरी संशोधन होता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय सात में अन्य बातो के साथ-साथ घातक दुर्घटनाओं, गंभीर शारीरिक चोटों या पेशेगत रोगो के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।

WUPCCI

नए कानून में कई बदलाव :

मसौदे में दावे के आवेदन के तरीके, मुआवजे के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर, कार्यवाही के स्थान एवं हस्तांतरण, नोटिस एवं एक सक्षम प्राधिकारी से दूसरे प्राधिकारी को धन हस्तांतरित करने के तरीको और मुआवजे के रूप में भुगतान किय गए धन के हस्तांतरण के लिए अन्य देशो के साथ की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी :

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बिमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग श्रमिकों (घंटे के हिसाब से या अंशकालिक काम करने वाले) एवं प्लेटफार्म वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए सेवा देने वाले संगठनों के लिए काम करने वाले कर्मचारी) के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुडी सूचना से संबंधित मसौदा नियमो को 13 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

जीएसटी पंजीकरण में अब नहीं होगा पैन का फर्जीवाड़ा

जीएसटी पंजीकरण में पैन कार्ड के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने नई व्यवस्था शुरू की है। टैक्स चोरी के लिए किसी ओर के पैन नंबर के जरिए पंजीकरण हासिल करने की बहुत सी शिकायते सामने आई है। जीएसटी पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जिसमे पैन नंबर डालते ही पता चल जाएगा उससे कोई पंजीकरण हुआ है या नहीं। इसके तहत व्यक्ति को खुद पहल करनी होगी और उसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर पता करना होगा कि किसी ने उसके पैन का दुरूपयोग तो नहीं किया है। जीएसटीएन ने कहा, अगर किसी को पता चलता है कि जीएसटी पंजीकरण के लिए किसी ओर ने उसके पैन का दुरूपयोग किया है तो वह जीएसटीएन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायतो को संबंधित टैक्स अधिकारी को भेज दिया जाएगा, जिसके कार्यक्षेत्र में धोखाधड़ी से पंजीकरण हुआ है।

WIPCO

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

Govt simplifies registration process for MSMEs

The government has simplified the registration process for micro, small and medium enterprises and they will now only need to furnish PAN and Aadhaar to register, an official statement said. Announcing the measure, MSME minister Nitin Gadkari said that after getting registered, the MSME unit will be getting priority and finance.

He said there is a need to impart training to small units in fields of entrepreneurship and other related aspects. He also expressed hope that banks and non-banking finance companies will also provide full support to small businesses.

The minister "announced simplification of the process for registration of MSMEs. Now only PAN and Aadhaar will be required for registration of MSMEs," it said.

IDCCI

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

एमएसएमई का बकाया 31 जुलाई तक चुका दे : वित्तमंत्री

कोरोना की दूसरी लहर के बाद नकदी की समस्या से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर को जल्द बकाया भुगतान मिल सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों एवं उनसे संबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को आगामी 31 जुलाई तक एमएसएमई का बकाया चुका देने को कहा है। एमएसएमई के बकाये को लेकर इस उद्योग के मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार चिंता जाहिर कर चुके है।

वित्तमंत्री जी ने कहा कि पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था की रिकवरी में मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च के लिए 5.54 लाख करोड़ रूपये का प्रविधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 34.5 फीसद अधिक है। उन्होंने सभी सार्वजनिक कंपनियों को भी अपने पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए कहा है।

यूपी के उद्यमियों को बड़ी राहत

यूपी सरकार उद्यमियों को बड़ी राहत देगी। उन्हें अब एसजीएसटी प्रतिपूर्ति इंसेंटिव की जगह कैपिटल सब्सिडी की सुविधा देने की तैयारी है। कैपिटल सब्सिडी की दर निवेश वाले क्षेत्र के भौगोलिक पिछड़ेपन के आधार पर तय होगी। इससे निवेशकों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की जटिल प्रक्रिया से निजात मिल सकेगी।

औद्योगिक विकास विभाग ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाया है। इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक निवेश निति 2012 व 2017 के तहत निवेश परियोजनाओं पर एसजीएसटी के मामले लंबित है। इसकी वजह से जीएसटी प्रतिपूर्ति की गणना जटिल प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या अलग-अलग तरीके से हो जाती है। यह समस्या आने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर बनाया गया लेकिन इससे भी समाधान ठीक से नहीं हो पाया। असल में उत्पादनकर्ता के राज्य में उनके डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आवेदक के उत्पादित माल व बिक्री हुए माल की अंतरप्रांतीय आपूर्ति की स्थिति में कितना एसजीएसटी देय होगा ? इसकी गणना में कई तरह की व्याख्या होने लगती है।

WUPCCI

क्षेत्रीय आधार पर तय मानक अंक :

श्रेणी	मध्यांचल	पश्चिमांचल	गौतमबुद्धनगर
लघु, मध्य व वृहद यूनिट	0.9	0.9	0.8
मेगा, मेगा प्लस, सुपर मेगा	2	1	0.8

क्षेत्रीय आधार पर तय होगी यह सुविधा :

लघु, मध्य व वृहद औद्योगिक इकाइयों को यह सुविधा 20 प्रतिशत बेसिक कैपिटल सब्सिडी गुणे रीजनल फैक्टर के आधार पर मिलेगी। रीजनल फैक्टर के लिए अलग से मानक अंक तय होंगे। इस राहत की अधिकतम सीमा 400 करोड़ रूपये होगी। यह सुविधा 7 साल तक दी जाएगी। अगर निवेशक ने बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 1230 करोड़ रूपये का किया है जबकि गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में 4530 करोड़ रूपये का निवेश किया है तो उसे 400 करोड़ सीमा तक कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मिल सकती है। मध्यांचल में 1830 करोड़ व पश्चिमी यूपी में 3700 करोड़ का निवेश करने पर भी यह सुविधा मिल सकती है।

खेती की जमीन पर अब गोदाम और भंडारण गृह बनाना आसान :

राज्य सरकार ने शहरी सीमा में गोदाम या भंडारण गृह बनाने वालो को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक नीति के तहत खेती की जमीन पर इसे बनाने के लिए आसानी से भू-उपयोग बदला जाएगा। इसके लिए जरुरतमंदो को विकास प्राधिकरणों में आवेदन करना होगा।

खुलेंगे रोजगार के द्वार :

राज्य सरकार वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से रोजगार के द्वार खोल रही है। शहरी सीमा में इसके लिए भू-उपयोग बदलने की अभी तक सुविधा नहीं थी। आवास विभाग ने अब यह भी सुविधा दे दी है। जरूरतमंद खेती की जमीन पर इसे बनाने के लिए भू-उपयोग बदलवा सकते है। सरकार का मानना है कि जहां भी इसका निर्माण होगा उसके आसपास के लोगो को इससे रोजगार मिलेगा।

यह होंगी सेवा शर्ते :

कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए न्यूनतम 50 करोड़ का निवेश किया गया हो और 10 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए। वेयरहाउसिंग सुविधा के लिए न्यूनतम 25 करोड़ का निवेश किया हो और 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल होना चाहिए। कोल्डचेन के लिए 15 करोड़ का निवेश और 20 हजार वर्गफुट जमीन होनी चाहिए।

RR Group

Since 1979

FRIZZON

R.R. Advertising Services

- Newspaper
- Magazine
- Print
- Outdoor
- Electronic
- Signage
- Film, Events

Web: rradvertisingmeerut.com
E-mail: rradvertisingmeerut@gmail.com
Mob No.: 0121-2641338, 9219660359, 9690331338

Travel Event Films

Web: www.frizzontravel.com
E-mail: booking@frizzontravel.com
Mob No.: 0121-2641338, 8266023450

Address: Shri Krishan Bhawan, Gali Opp. Shivlok Complex, 283, Western Kutchery Road, Meerut- 250001 (U.P.)

WUPCCI

MFI सेक्टर के नियमन में एकरूपता लाने की तैयारी

आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एकरूपता का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत MFI बोर्ड द्वारा ब्याज दरों पर लोगों को कोलेटरल-फ्री लोन दे सकेंगे। 'कंसलटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस' में रेगुलेटेड इकाइयों के लिए माइक्रोफाइनेंस लोन की समान परिभाषा तय करने की बात है।

PLI scheme to help India become Aatmanirbhar in APIs : ICRA

The Government’s production-linked incentive (PLI) schemes for key raw materials such as bulk drugs and formulations, with a total incentive outlay of Rs 210 billion will help the country become Aatmanirbhar, ratings agency ICRA said.

As per a note by the agency, PLI scheme will reduce import dependence and boost domestic production of high-value products; and increase the value addition in exports.

High value-added pharmaceutical products are generally R&D intensive and difficult to manufacture and these include products such as complex generics, patented products, and biologics among others.

Further, the GoI has also announced the promotion of the bulk drug parks scheme with a financial outlay of Rs 30 billion for three select states, which will provide infrastructure assistance to the active pharmaceutical ingredient (API) players.

कारोबारियों को अब जेम पोर्टल से मिल रहा कर्ज

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर छोटे कारोबारियों को कर्ज की दिक्कतों को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कारोबारियों को उनके आर्डर के आधार पर ही कर्ज मिल जाया करेगा। उन्हें इसके लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरुरत नहीं होगी। जेम के अधिकारी लम्बे समय से इसके लिए काम कर रहे थे लेकिन तकनीकी दिक्कत्तों को दूर करते हुए जून के महीने से इसकी शुरुआत हो पाई है।

जेम के सीईओ पी के सिंह ने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन में कारोबारी की आर्डर बुक देखने के बाद बैंको और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की तरफ से कर्ज के ऑफर दिखाई देने लगेंगे। उनके आधार पर कारोबारी अपने लिए ऑफर चुन सकता है। कारोबारी जरुरत को देखते हुए आर्डर बुक के हिसाब से कर्ज मिल जाया करेगा जिसे पेमेंट मिलने के बाद आसानी से चुकाया भी जा सकेगा।

फिलहाल 5-6 बैंक और एनबीएफसी जुड़े है और बाजार के हिसाब से इस कर्ज पर ब्याज तय किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में वाणिज्य मंत्री सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर पंचायत स्तर की खरीद के लिए इस पोर्टल को बढ़ावा देने की अपील करेंगे।

निजी क्षेत्र की खरीदारी नहीं :

जेम सीईओ के मुताबिक फिलहाल निजी क्षेत्र खरीदारी के लिए इसे खोलने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि निजी क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अब तक पोर्टल पर करीब 7 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड है जो सामान बेचने के साथ-साथ सेवाएं देने का काम भी करते है। अगस्त 2017 के बाद से अब तक पोर्टल के जरिए 1.11 लाख करोड़ रूपये के 67.27 लाख आर्डर दिए जा चुके है। ये आर्डर 52275 खरीदारों ने दिए है। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने नई एमएसएमई निति के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन स्कीम भी शुरू की है जिसके जरिये इन कारोबारियों को भी जेम पोर्टल पर होने आप रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए ओर बड़ा बाजार मिल जाएगा।

उद्योग आधार मेमोरेंडम की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई

एमएसएमई ने उद्योग आधार मेमोरेंडम की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल इसकी वैधता मार्च में ख़तम होनी थी लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान परेशानियों को देखते हुए उद्योग आधार पंजीकरण की अंतिम तिथि इस साल के अंत तक कर दी गई है।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut-250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

दूसरी लहर से उबारने को आठ बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना माहमारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आठ बड़े राहत उपायों की घोषणा की।

वितमंत्री ने पहली और दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रूपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50000 करोड़ रूपये और दूसरे क्षेत्रो के लिए 60000 करोड़ रूपये की सहायता देने की घोषणा की गई। वहीं, कुल 6.29 लाख करोड़ रूपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। छोटे कारोबारियों को विशेष राहत मुहैया कराते हुए 1.25 लाख करोड़ रूपये तक का सस्ता कर्ज देने का ऐलान किया गया। इस पर बैंक एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लेंगे। इसके तहत देशभर के 25 लाख छोटे कारोबारियों को राहत देने की योजना है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर रोजगार योजना का विस्तार कर 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान किया गया और दूसरी रियायते देने की घोषणा की गई है।

1. स्वास्थ्य सेवा में आएगा सुधार :

वितमंत्री द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ और अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रूपये राहत पैकेज की घोषणा पर हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इससे देश के स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में मदद मिलेगी। एमके ग्लोबल फिनेंशियल सर्विसेज़ के प्रमुख अर्थशास्त्री, माधवी अरोड़ा के अनुसार, यह राहत पैकेज कोरोना से प्रभावित अहम क्षेत्रो को ध्यान में रखकर लाया गया है। हालांकि, यह लोन गारंटी के रूप में है, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के रूप में नहीं।

2. लोन गारंटी से तेजी लौटेगी :

क्रेडिट लोन गारंटी योजना की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रूपये से बढाकर 4.5 लाख करोड़ रूपये किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इकारो गारंटी के सीईओ, विकास खंडेवाल ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को लोन की जरुरत पूरा करने में मदद मिलेगी।

WIDCCI

3. आसान होगी कर्ज की उपलब्धता :

नए पैकेज के तहत छोटे कारोबारी, एनबीएफसी से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। विशेषज्ञो का कहना है कि यह कदम छोटे कारोबारियों के बीच कर्ज की उपलब्धता आसान करेगा।

4. पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा मिलेगा :

कोविड से प्रभावित पंजीकृत टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रूपये और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रूपये का लोन दिया जाएगा। मिलवुड केन इंटरनेशनल के सीईओ निश भट ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र मुद्रा देश में लोन का बड़ा स्त्रोत है। इस कदम से पर्यटन और आथित्य क्षेत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

5. आत्मनिर्भर से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी :

वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान किया। इसके तहत ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसदी अंशदान जमा करने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। आर्थिक विशेषज्ञो का कहना है कि यह एक बेहतर कदम है। इससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी लेकिन सरकार को प्रत्यक्ष रूप से राहत देने की जरुरत है।

6. गांव-गांव तक पहुंचेगी ब्रॉडबैंड योजना :

भारतनेट ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत प्रत्येक गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसके साथ ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम को बढ़ाकर 2025-26 की गई है। आईसीईए के अध्यक्ष, पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि पीएलआई योजना में विस्तार निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करेगा।

MUPCI

7. किसानो की घटेगी लागत और आय बढ़ेगी :

वित्तमंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि देश के किसानो को 14775 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 9125 करोड़ रूपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है। वहीं, 5650 करोड़ रूपये की सब्सिडी एनपीके के लिए होगी। कृषि विशेषज्ञो का कहना है कि इस कदम से किसानो की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी।

8. बिजली की सेहत ठीक होगी :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़ रूपये देने का ऐलान किया। स्कीम के तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10 हजार फीडर और 4 लाख किलोमीटर एलटी ओवरहेड लाइन लगाई जाएगी। विशेषज्ञो का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों की सेहत सुधारने और निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

A Complete Processing Unit For:

High Quality Multicolour Corrugated Boxes Made From 5 Fully Automatic Imported Plant

Regd. Office & Works:

F.C.I. Godown Road, Vill. Kunda, Partapur, Meerut (U.P.), 250103 India
Ph.: (W) 0121-2440651, 2440652, Telefax: 0121-2440651
CIN- U25202UP1996PTC019260 EMAIL: v.p.p.l@vsnl.net

14 राज्य और 17 मंत्रालयों से मिलेगी सिंगल विंडो क्लीयरेंस

उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को अलग-अलग मंत्रालय या राज्यों में भटकने की जरुरत नहीं पड़ेगी। 14 राज्यों और 17 मंत्रालयों से अब सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी मिल जाएगी। जल्द ही इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन कोरोना के कारण देरी हो गई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का पहला चरण शुरू किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफार्म से निवेशकों के लिए भारत में कारोबार शुरू करने की जरुरी पूर्व-संचालन स्वीकृतियां पाना आसान होगा।

सिगरेट-तंबाकू बेचने को लाइसेंस जरुरी

शहरों में बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के बिना किसी भी कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। लाइसेंस लेने वाला केवल भारतीय उत्पाद या केंद्र सरकार के आयात नियमो के मुताबिक मंगाए गए सामान ही बेच पाएगा।

लखनऊ नगर निगम में पहले से लागू है, शेष 16 शहरों अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में इसे लागू किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है।

उपविधि बनाना होगा: नगर विकास विभाग ने इसके लिए तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू

WUPCCI

होने के बाद दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चो को सिगरेट व तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चो को इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी।

लाइसेंस के लिए पात्र :

लाइसेंस लेने के लिए भारत का नागरिक ही पात्र होगा। आवेदनकर्ता की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। दुकानदार के नाम पर आधारकार्ड होना अनिवार्य होगा। शहर बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। शैक्षिक संस्थान से 100 गज की दुरी पर दुकान को लाइसेंस दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर नीति के अनुसार अस्थाई दुकानदार को भी लाइसेंस दिया जाएगा।

पकडे गए तो जुर्माना :

लाइसेंस के बिना कोई भी कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर पहली बार 2000 रूपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा। दुसरी बार 5000 रूपये जुर्माना लिया जाएगा।

लाइसेंस पंजीकरण शुल्क (एक साल के लिए पंजीकरण)

अस्थाई दुकान	200 रूपये
स्थाई दुकान	1000 रूपये
थोक विक्रेता	5000 रूपये

एक साल के बाद :

अस्थाई दुकान	100 रूपये
स्थाई दुकान	200 रूपये
थोक विक्रेता	5000 रूपये

रेस्तरां-मिठाई बिल पर लाइसेंस नंबर जरुरी

रेस्तरां, मिठाई और खुदरा दुकानों पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों के बिल पर भी FSSAI का लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से नए नियम का पालन जरुरी होगा।

प्राधिकरण के अनुसार, इससे ग्राहकों के लिए विक्रेताओं के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करना आसान हो जाएगा और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। अभी सिर्फ पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों पर FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस नंबर लिखा होता है। लेकिन रेस्तरां, होटल, मिठाई की दुकानों और खुदरा अनाज विक्रेताओं की ओर से यह जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जाती।

टैक्स के दायरे में लाए जा सकेंगे दुकानदार :

प्राधिकरण ने जारी आदेश में कहा है कि नए नियम से पंजीकरण का दबाव बढ़ेगा। इस कदम से पंजीकरण कराने वाले दुकानदारों को टैक्स के दायरे में भी लाया जा सकेगा। खाद्य उत्पाद बेचने वाले ऐसे कारोबारी, जिन्होंने अभी तक FSSAI से पंजीकरण या लाइसेंस नंबर नहीं लिए है, 1 अक्टूबर तक उन्हें भी इसका अनुपालन करना होगा। उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि खाद्य कारोबार से जुड़े बड़े विक्रेता पहले से ही इसका पालन कर रहे है।

अब डीएम तय करेंगे मकान और फ्लैट पर लगने वाला स्टांप शुल्क

प्रदेश में अब फ्लैट, जमीन, मकान व दुकान जैसी भू-संपत्तियों की कीमत के आधार पर स्टांप शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। इससे संपत्ति रजिस्ट्री कराते समय स्टांप शुल्क तय करने को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे। वहीं, एक मालियत की संपत्ति के स्टांप शुल्क में एकरूपता आएगी। स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए 'संपत्ति मूल्यांकन नियमावली-1997' में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

स्टांप और पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के इस अहम फैसले के बाद अब भू-संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री कराते समय उस पर लगने वाले स्टांप शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे और इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमों संख्या घटेगी। उन्होंने कहा, अब कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कही भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे सम्बंधित जिले के डीएम को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषगार में 100 रूपये का शुल्क जमा करना होगा। जिलाधिकारी लेखपाल से उस भू-संपत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन कराएंगे। उसके बाद उस संपत्ति के रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा।

सौदे के बाद भी विवाद :

कई बार सौदे के बाद भी विवाद की स्थिति पैदा होती थी कि उक्त भू-संपत्ति की कीमत इतनी नहीं, बल्कि इतनी होनी चाहिए थी। इस लिहाज से इसकी रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क कम वसूला गया। प्रदेश के स्टांप व रजिस्ट्री विभाग में ऐसे मुक़दमे बढ़ते जा रहे है।

अभी मौखिक तौर पर तय होती है कीमत :

अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक़, कोई व्यक्ति भूमि, भवन खरीदना चाहता था तो भू-संपत्ति का मूल्यांकन कितना है, इस पर संशय बना रहता है और खरीदार प्रॉपर्टी डीलर, रजिस्ट्री करवाने वाले वकील, रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से संपर्क करता था और उसमे मौखिक तौर पर उस भवन या भूमि की कीमत तय हो जाती थी, उसी आधार पर उसकी रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क लगता था।

स्टांप बचाने के लिए चलता है खेल :

दरअसल, संपत्ति खरीदने में अक्सर स्टांप चोरी शिकायते आती है। कई बार खरीदार वास्तव में प्रॉपर्टी की सही मालियत नहीं जानता है और वह विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर के बताए दाम पर खरीद लेता है। ऐसे में स्टांप बचाने के लिए कीमते कम-ज्यादा बताने का खेल चलता है। ऐसे मामलो में बहुत बार शिकायत होने पर मुकदमा हो जाता है और संपत्ति भी फस जाती है। लंबित मुकदमो को देखते हुए नई व्यवस्था की गई।

WUPCL

PASWARA PAPERS LIMITED

PASWARA GROUP

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

व्यापारियों व छोटे कारोबारियों को बिजली के फिक्स्ड चार्ज में मिल सकती है छूट

कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह से प्रभावित व्यापारियों व छोटे कारोबारियों को बिजली फिक्स्ड चार्ज में छूट मिल सकती है। कोरोना कर्फ्यू वजह से बीते करीब डेढ़ महीने से होटल-रेस्टोरेंट, वाणिज्यिक संस्थान, बाजार तथा छोटे उद्योग धंधे बंद चल रहे थे। व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों की ओर से कारोबार पर व्यापक पैमाने पर कोरोना महामारी का असर पड़ने का हवाला देते हुए बिजली के फिक्स्ड चार्ज में छूट की मांग की जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रस्ताव सौंपकर कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर दूसरी लहर से प्रभावित कारोबारियों को फिक्स्ड चार्ज में छूट देने के लिए केंद्र से 180 करोड़ रूपये की मांग करने का अनुरोध किया है।

उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव के आधार पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र भेजकर इस पर विचार करने का अनुरोध किया है।

लागत घटाने व उत्पादकता बढ़ाने को कृषि मशीनीकरण पर जोर

खेती की लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कृषि मशीनीकरण उपमिशन के तहत किसानो को सशक्त बनाने के लिए नियमो में वैधानिक संशोधन किया गया है। खेती से जुडी मशीनों को हर किसान तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक, खेती के हाईटेक हब की स्थापना के साथ कृषि मशीनरी के लिए राज्यों को धन जारी किया गया है। फार्म पावर को 2.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अभी 2 किलोवाट से भी नीचे है।

कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के लिए किया जाता है। इनके व्यापक उपयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को लाभप्रद बनाने के साथ इसमें युवाओ को

आकर्षित करने की योजना है। मशीनों के उपयोग से कृषि क्षेत्र एक आकर्षक व्यवसाय हो सकता है। कृषि मशीनीकरण में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयुक्त व सटीक उपयोग की जरुरत है। उपमिशन के तहत कृषि क्षेत्र में मशीनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा।

पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रो में फार्म पावर 2.2 किलोवाट है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश के बाकी हिस्सों में इसे बढ़ाने के लिए योजनाए तैयार की गई है, जिसमे से कई में 100 फीसद मदद केंद्र की होगी, जबकि कुछ में 60 फीसद तक हिस्सेदारी केंद्र देगा। बाकी हिस्सा राज्यों को मिलाना होगा। इसका उद्देश्य देश के छोटे व सीमांत किसानो तक आधुनिक कृषि मशीनों को पहुँचाना है। इसमें महंगी मशीनों को किराये पर हर किसान तक पहुंचाया जा सकता है। इन मशीनों के उपयोग से जहां लागत में कमी आएगी वहीं उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश को इसके बाबत पिछले 6 साल में लगभग 295 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। चालू वित्तवर्ष 2021-22 के लिए उपमिशन के तहत 290 कस्टम हायरिंग केन्द्रो और गावं के स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंको की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 22.13 करोड़ की पहली क़िस्त जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस बाबत 182 करोड़ की रकम जारी की थी। चालू वित्तवर्ष के दौरान राज्य में 6 कस्टम हायरिंग केन्द्रो के स्थापना के साथ गावं स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंक खोले जाएंगे। इसके लिए 11 करोड़ की पहली क़िस्त जारी कर दी गई है।

मार्च 2022 तक नौकरी पाने वालो का पीएफ देगी सरकार

केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वालो के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता की ओर से दो साल तक सरकार अंशदान करेगी।

श्रम मंत्रालय मुताबिक, योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ सकती है। कोरोना काल में रोजगार प्रोत्साहन के लिए पिछले साल दिसम्बर में लागू योजना की अभी समय सीमा 30 जून 2021 है। इसका मकसद

नियोक्ताओं पर नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान का बोझ घटाना था, ताकि वे ज्यादा रोजगार दे सके। श्रम मंत्रालय ने बताया, अभी इसमें अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नियुक्त कर्मी आएंगे, अवधि बढ़ने पर 2021-22 की समाप्ति तक संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसमें कर्मचारी के वेतन का कुल 24% पीएफ अंशदान देती है। जिन कंपनियों ने कोरोना काल में छंटनी की, वे कर्मचारी को वापस बुलाती है तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा।

बिना बताए जल दोहन पर सजा, जुर्माना लगेगा

अगर आप बिना बताए समर्सिबल सहित अन्य नलकूप से पानी का दोहन कर रहे है तो सतर्क हो जाइए। आपको उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत सजा हो सकती है। इसके लिए भूगर्भ जल की वेबसाइट www.upgwdonline.in पर आपका पंजीकरण होना जरुरी है। भूगर्भ जल विभाग की ओर से वेबसाइट पर सभी जानकारियां अपलोड कर दी गई है।

नियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनियों को 5 हजार रूपये की फीस जमा कर ऑनलाइन एनओसी लेनी होगी। ऐसा ना करने पर एक से दो वर्ष की सजा और पांच से छह लाख रूपये का जुर्माना किया जाएगा। जहां उपभोक्ता सोसाइटी है, उनके लिए भी यह जरुरी है। सरकार ने नियम लागू कराने के लिए भूगर्भ जल विभाग के सहायक भूभौतिकविद आशीष कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है, जिसमे लघु सिचाई विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे।

वहीं, घरेलु और कृषि कार्य में समर्सिबल का उपयोग करने वालो के लिए भी पंजीकरण कराना जरुरी किया गया है। हालांकि इन्हे एनओसी लेने के लिए पंजीकरण धनराशि नहीं देनी होगी। सरकार की तरफ से पंजीकरण इसलिए जरुरी किया गया है, ताकि शहर और देहात में घरेलु और कृषि कार्य में लगे नलकूप आदि का विस्तृत आंकड़ा जुटाया जा सके।

WUPCL

डार्क जोन में उद्योगों को एनओसी नहीं मिलेगी :

उद्योगों को अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद स्थानीय विभाग में उसकी जानकारी पोर्टल से दी जाएगी। इसके बाद नोडल अधिकारी वहां का निरीक्षण करेंगे। अगर उस क्षेत्र को डार्क जोन में शामिल किया गया है तो समर्सिबल के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। वहीं, टास्क फोर्स भी समय-समय पर ऐसे क्षेत्रो का निरीक्षण करेगा।

हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज कराए :

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य किसी भी तकनीकी सहायता के लिए 0522-4150500 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस पर कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकारी ली जा सकती है। वहीं, क्षेत्र में अगर कोई पानी का गलत दोहन कर रहा है तो वेबसाइट पर शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

One Nation One PUC: वाहन चालकों को मिलेगी राहत, सरकार ने PUC के लिए बनाए ये नए नियम

केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके बाद वाहन चालकों को देश में अलग-अलग स्थानों पर PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। साथ ही अब इसे PUC डेटाबेस से भी जोड़ा जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मंत्रालय ने देशभर में चल रहे सभी वाहनों के लिए एक ही PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी नोटिफिकेशन में एक ही वाहन के लिए देश में अलग-अलग जगहों पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद अब गाड़ी मालिकों को

दूसरे राज्य में तब तक PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा जब तक उनके मौजूदा PUC की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है।

PUC फॉर्म पर होगा QR कोड

इसके अलावा मंत्रालय PUC सर्टिफिकेट को नेशनल रजिस्टर के साथ PUC डेटाबेस से भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब PUC फॉर्म पर एक क्यूआर कोड भी देगी, जिसके जरिए गाड़ी, गाड़ी के मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का ब्योरा होगा, साथ ही साथ नए PUC में गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रैस, फोन नंबर, गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर भी दिया होगा। इसकी मदद से कोई भी किसी विशेष गाड़ी की डिटेल हासिल कर सकेगा।

भेजा जाएगा SMS

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले PUC सर्टिफिकेश के एक सामान्य फॉर्मेट के लिए 14 जून, 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर मेंडेटरी कर दिया गया है, जिस पर वेरिफिकेशन और फीस के लिए SMS अलर्ट सेंड किया जाएगा।

AUPCJ

15 जून से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य

सरकार ने 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला किया था। सर्राफा कारोबारियों ने कोरोना संकट में हॉलमार्किंग को ओर आगे बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद तिवारी का कहना है कि हॉलमार्किंग की प्रक्रिया पर करीब से नजर रखी जा रही है और इसे लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियों को दूर करने के सभी उपाए किए जाएंगे।

हॉलमार्किंग से जुडी 10 खास बाते :

1. हॉलमार्किंग सोने जैसी बहुमूल्य धातु की शुद्धता का प्रमाण है।

2. सोने की 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी पर 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी यानी बिना हॉलमार्किंग के आपको सोने की ज्वेलरी नहीं मिलेगी।

3. वर्तमान समय में ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग स्वैच्छिक थी। सरकार का कहना है कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी।

4. हॉलमार्किंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमेटिक कर दी गई है। इसका मकसद आवेदन पर जल्द विचार कर उसकी कम समय में मंजूरी देना है।

5. बीआईएस ने वर्ष 2000 में सोने की हॉलमार्किंग शुरू की थी।

6. सरकार का कहना है कि पिछले पांच वर्षो में सोने की हॉलमार्किंग केन्द्रो की संख्या में 25 फीसदी इजाफा हुआ है।

7. मौजूदा हॉलमार्किंग केन्द्रो की क्षमता के आधार पर सालाना 14 करोड़ हॉलमार्किंग हो सकती है।

8. मौजूदा समय में 40 फीसदी ज्वेलरी हॉलमार्किंग की बिक रही है।

9. बीआईएस का कहना है कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से ज्वेलरों द्वारा कम शुद्धता वाली ज्वेलरी को ज्यादा शुद्धता वाली बताकर ग्राहकों को बेचना संभव नहीं होगा।

10. देश में 4 लाख करीब ज्वेलर्स है जिनमे महज 35879 ज्वेलर्स ही बीआईएस से प्रमाणित है। धीरे-धीरे ही सही इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है।

XXXXXXXXXXXXXXXXX

WUPCCI